रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1967/भाद्र 4, 1889

No. 128] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1967/BHADRA 4, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August 1967

No. RS.1/3/67-L.—The following order by the President, dated the 24th August, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

The 24th August, 1967.

ZAKIR HUSAIN,
President."

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त 1967

संख्या आर० एस० 1/3/67-एस.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 24 अगस्त, 1967 आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूं ।

नई दिल्ली;
24 अगस्त, 1967 ।

जाकिर हुसैन,
राष्ट्रपति ।"

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1967